



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273725
CG-DL-E-22062026-273725

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3172]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3172]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3301(अ).— जन विश्वास (उपबंध संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, जून 2026 के तेईसवें दिन को उस दिन के रूप में नियत करती है, जिस दिन इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जहाँ तक यह क्रम संख्या 7 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) से संबंधित इस अधिनियम की अनुसूची में संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित है।

[फा. सं. 06/03/2020-बीओ. II]

हरि हर मिश्र, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3301(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026* (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 23rd day of June, 2026, as the date on which the provisions of the said Act, in so far as they relate to serial number 7 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), shall come into force.

[F. No. 06/03/2020-BO.II]

HARI HAR MISHRA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3302(अ).— जन विश्वास (उपबंध संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, जून 2026 के तेईसवें दिन को उस दिन के रूप में नियत करती है, जिस दिन इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जहाँ तक यह क्रम संख्या 20 और भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) से संबंधित इस अधिनियम की अनुसूची में संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित है।

[फा. सं. 06/03/2020-बीओ. II]

हरि हर मिश्र, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3302(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026* (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 23rd day of June, 2026, as the date on which the provisions of the said Act, in so far as they relate to serial number 20 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), shall come into force.

[F. No. 06/03/2020-BO.II]

HARI HAR MISHRA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3303(अ).— जन विश्वास (उपबंध संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, जून 2026 के तेईसवें दिन को उस दिन के रूप में नियत करती है, जिस दिन इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जहाँ तक यह क्रम संख्या 38 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) से संबंधित इस अधिनियम की अनुसूची में संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित है।

[फा. सं. 06/03/2020-बीओ. II]

हरि हर मिश्र, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3303(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 23rd day of June, 2026, as the date on which the provisions of the said Act, in so far as they relate to serial number 38 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), shall come into force.

[F. No. 06/03/2020-BO.II]

HARI HAR MISHRA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3304(अ).— जन विश्वास (उपबंध संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, जून 2026 के तेईसवें दिन को उस दिन के रूप में नियत करती है, जिस दिन इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जहाँ तक यह क्रम संख्या 68 और पेंशन निधि विनियामकीय और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) से संबंधित इस अधिनियम की अनुसूची में संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित है।

[फा. सं. 06/03/2020-बीओ. II]

हरि हर मिश्र, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3304(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section (1) of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 23rd day of June, 2026, as the date on which the provisions of the said Act, in so far as they relate to serial number 68 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), shall come into force.

[F. No. 06/03/2020-BO.II]

HARI HAR MISHRA, Addl. Secy.